

कार्यालय ,नगर पालिक निगम, भिलाई

कमांक / शि.क.भर्ती / न.पा.नि. / 2018 / 602

भिलाई, दिनांक २४/२ / 2018

आदेश //

छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्र./9100/ 8069/ 2017/ 18 नया रायपुर दिनांक 07.12.2017 द्वारा जारी आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी के शिक्षाकर्मी – वर्ग 01 की पूर्ति हेतु महापौर परिषद की बैठक दिनांक 29.12.17 के प्रस्ताव क्र.01 में पारित संकल्प अनुसार निम्नलिखित आवेदक को निम्नांकित शर्तों के अधीन व्याख्याता (नगरीय निकाय) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर वेतनमान **5300-150-8300** एवं उस पर शासन द्वारा समय समय पर देय मंहगाई भत्ते पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम न. 05 में दर्शित शाला में पदाकिंत किया जाता है।

क्रं.	चयनित अभ्यर्थियों के नाम पिता/पति का नाम	आरक्षण	विषय	पदाकिंत शाला / विद्यालय का नाम
01	विनोद कुमार / परदेसी राम	UR OPEN	वाणिज्य	शा.उ.मा.विद्यालय कुरुद

टीपः— आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

उपरोक्त नियुक्ति आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन होगे।

शर्तः—

- नियुक्त व्याख्याता को आदेश प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वंयमेव निरस्त माना जावेगा।
 - उपरोक्त अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन के आधार पर सत्यापन में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों का दावा आपत्ति के बाद पात्र सूची के मेरिट कम में वरीयता सूची तैयार कर नियुक्ति की गई है। अतः भविष्य में चयन सूची में किसी प्रकार का संशोधन होता है, तो प्रभावित चयनित अभ्यर्थी का उक्त आदेश स्वंयमेव निरस्त माना जावेगा।
 - यह नियुक्ति स्कूल विशेष में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
 - नियुक्त व्याख्याता (नगरीय निकाय) की सेवा की शर्त छ.ग. शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2013 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी।
 - छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नियम 2013 के टीप -2 -के अनुसार नियुक्त नॉन बी.एड. व्याख्याता नगरीय निकाय को नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के भीतर बी.एड. पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 - नियुक्त व्याख्याता (नगरीय निकाय) नगर पालिक निगम भिलाई के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगे।
 - नियुक्त व्याख्याता (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी की सेवाएँ या तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अथवा कर्मचारी द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को लिखित में एक माह की सूचना देकर या कर्मचारी द्वारा एक माह के वेतन का भुगतान करने पर, किसी भी समय समाप्त की जा सकती।

 क्रमशः.....

08. कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्त व्याख्याता (नगरीय निकाय) को जिला मेडिकल बोर्ड से शारीरिक चिकित्सा प्रमाण पत्र नगर पालिक निगम भिलाई के शिक्षा विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
09. कार्यभार ग्रहण करते समय 2 नग कोरी सेवा पुस्तिका, 02 नग पासपोर्ट साईज वर्तमान की रंगीन फोटो,आधार कार्ड एवं समस्त प्रमाण पत्रों की दो सेट सत्यापित छायाप्रति नगर पालिक निगम भिलाई के शिक्षा विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
10. नियुक्त व्याख्याता (नगरीय निकाय) के द्वारा अपने निवास स्थान के संबंधित थाना से स्वयं के चरित्र का सत्यापन कराकर 2 माह के भीतर चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र निगम भिलाई के शिक्षा विभाग में प्रस्तुत करेंगे। चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जायेगा।
11. आरक्षित वर्ग के चयनित व्याख्याता (नगरीय निकाय) जो अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं उन्हे स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. संबंधित चयनित समस्त व्याख्याता (नगरीय निकाय) को 50.00 रुपये के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, विज्ञापन/नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक के पूर्व द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह नियुक्ति छ.ग. शिक्षाकर्मी सेवा भर्ती नियम 2013 में दिये गये निर्देशों तथा संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों एवं घोषणा पत्र के आधार पर दी जा रही है। भविष्य में किसी भी पक्षकार/अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्र असत्य या गलत पाया जाता है और इस संबंध में शिकायत किया जाता है एवं जांच में शिकायत सही पाया जाता है तो अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु स्वमेव अपात्र हो जायेगा एवं नियुक्ति एकपक्षीय निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियुक्ति दिनांक से की गई समस्त भुगतान भू-राजस्व की भाँति वसूलनीय होगा तथा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जयाबदारी नियुक्त अभ्यर्थी की होगी।
13. नियुक्त व्याख्याता (नगरीय निकाय) द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देने के पश्चात पदांकित शाला/विद्यालय में तत्काल पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
14. छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 6 (दो) में प्रावधान किया गया है। कि “ कोई भी नगरीय निकाय सेवक, अपनी सेवा या किसी अन्य नगरीय निकाय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में ना तो किसी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रैत करेगा।
15. रोस्टर पंजी का नियमानुसार संधारण किया गया।

अनियुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमश.....

पृ. कं./शि.क.भर्ती/न.पा.नि./2018/603
प्रतिलिपि :-

मिलाई, दिनांक 28/2/2018

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन एवं नगरीय प्रशासन विभाग, नया मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छ.ग. शासन रक्कूल शिक्षा विभाग नया मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. संचालक, छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को सादर को सूचनार्थ।
7. कलेक्टर महोदय जिला दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
8. महापौर नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को सूचनार्थ।
10. प्रभारी शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित लिपिक नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ।
11. प्राचार्य शा.उ.मा.विद्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं नियुक्त अभ्यर्थी के द्वारा पदभार ग्रहण करने की प्रति नगर पालिक निगम मिलाई के शिक्षा विभाग में भेजे।
12. प्रभारी डाटा सेंटर नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
13. श्री/ श्रीमती/ कुमारी को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर प्रालिक निगम
मिलाई